न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी— श्री विवेक व्यास (R.A.S.)

म्यूटेशन अपील संख्या — 01/2024

तारीख दायरा :— 14.02.2024

तारीख निर्णय :— 05-04-2024

अपीलान्ट :—

1. नेनूदेवी पत्नी भोजावरसिंह उम्र— 54 वर्ष, जाति— रावत
   निवासी—गवार फुलाद, तहसील—मारवाड जंक्शन, जिला—पाली, राज.

—: विरूद्ध :—

रेस्पोडेन्ट :—

1. तहसीलदार देसूरी जरिये भूमिधारी राजस्थान सरकार
2. उप पंजीयन अधिकारी देसूरी

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान सरकार भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध ना.क. संख्या 771 स्वीकृति दिनांक 22.12.2023 को रस्पोडेन्ट द्वारा आनलाईन स्वीकृत किया गया जिसे निरस्त बाबत्।

उपस्थिति :—

1— श्री श्रवणसिंह सोलंकी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से

2— पैरोकार सरकार (भूमिधारी) श्री शंकरलाल नायब तहसीलदार।

निर्णय **दिनांक :—** 05-04-2024

1 — अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सांसरी में अपीलांट की खरीदसुदा कृषि भूमि स्थित है। जिसके खाता संख्या नया 126 खसरा नंबर 11 कुल क्षेत्रफल 2.12 हैक्टर किस्म बारानी दोयम लगान 10.60 है। दिनांक 22.12.2023 को अपीलांट ने वर्णित कृषि भूमि मे से खातेदार इन्द्रा देवी का सम्पूर्ण 1/20 हिस्सा, कानाराम का सम्पूर्ण 1/20 हिस्सा, मांगीलाल का 1/4 हिस्सा, रमेश कुमार 1/20 हिस्सा, राकेश कुमार का 1/20 हिस्सा, विकम कुमार का 1/20 हिस्सा अर्थात वर्णित खसरा नंबर की

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

भूमि में से इन सभी खातेदारों से 1/2 हिस्सा 22.12.2023 को खरीद किया गया है। उक्त विक्रय विलेख पंजीयन अधिकारी देसूरी द्वारा दिनांक 22.12.2023 को पुस्तक संख्या 1 से जिल्द संख्या 289 पृष्ठ संख्या 40 क्रम संख्या 202303193103988 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1140 पृष्ठ संख्या 31 से 45 पर चस्पा किया गया जिसमें कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तकनीकी भूल से खरीददार अपीलांट का नाम जमाबंदी म्यूटेशन में दर्ज नहीं हुआ तथा सहखातेदार मिठू कौर पत्नी बलवीर सिंह हिस्सा 1/2 दर्ज हो गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त म्यूटेशन अपील कर म्यूटेशन संख्या 771 दिनांक 22.12.2023 को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की भूल से स्वीकृत कर दिया गया है। अपीलाधीन म्यूटेशन खारिज किया जाने योग्य है। अपीलांट को जमाबंदी की नकल दिनांक 30.01.2024 को देखने पर ध्यान में आया की अपीलांट का नाम गलत म्यूटेशन दर्ज किए जाने के कारण जमाबंदी में नाम दर्ज नहीं होने एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाने हेतु धारा 5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2 – अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त म्यूटेशन खारिज कर अपीलांट का नाम खातेदारी में दर्ज किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

3 – अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार देसूरी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया की बेचान रजिस्ट्री विक्रय विलेख में विक्रम कुमार पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/20, इन्द्र देवी पुत्री मदनलाल हिस्सा 1/20, कानाराम पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/20 मांगीलाल पुत्र गिरधारी लाल हिस्सा 1/4, रमेश पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/20, राकेश पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/20 जातिगण लुहार निवासीगण–सांसरी द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा सम्पूर्ण आराजी का 1/2 हिस्सा श्रीमती नेनू देवी पत्नी भोजावरसिंह जाति रावत निवासी गवार फुलाद तहसील मारवाड जंक्शन को बेचान किया है। नामान्तकरण प्रक्रिया में ग्राम सांसरी के नामान्तकरण संख्या 771 दिनांक 22.12.2023 में केता नेनू देवी पत्नी भोजावरसिंह का नाम दर्ज नहीं होकर सहखातेदार मिठू कंवर पत्नी बलवीर सिंह हिस्सा 1/2 दर्ज हो गया है। उक्त म्यूटेशन को खारिज करने का निवेदन किया गया।

4 – अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस शमायत की गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मय विक्रय विलेख, जमाबंदी खाता संख्या 126 खसरा नंबर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

11 रकबा 2.1200 हैक्टर, नामान्तकरण संख्या 771/22.12.2023 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत जवाब से हम सहमत है। अपीलाधीन म्यूटेशन कम्प्युटर सॉफ्टवेयर की तकनीकी भूल से स्वीकृत होना जाहिर है। वादग्रस्त आराजी में केता नेनू देवी पत्नी भोजावर सिंह, जाति रावत निवासी गवार फुलाद तहसील मारवाड जंक्शन के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं होकर सहखातेदार मिठूकंवर पत्नी बलवीर सिंह के नाम 1/2 हिस्सा गलत दर्ज होना जाहिर है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। प्रकरण तहसीलदार देसूरी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है की पुनः जांच कर सही नामान्तकरण दाखिल करे।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 05-04-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)